

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
जिला अलवर (राज.)

दावा संख्या
233/17

पीठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट, आर.ए.एस
दायरा दिनांक
15.09.2017

निर्णय दिनांक
21.12.2018

1 सोमदत्त पुत्र मूंगाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
वादी

बनाम

- 1 नगर विकास न्यास, भिवाडी, जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भिवाडी जिला अलवर, राज0
- 2 तहसीलदार, मुण्डावर, अलवर राज0
- 3 राजस्थान राज्य जर्ने जिला कलक्टर, अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा -ईशतकरारहक, दुरुस्ती
इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी

वादी की ओर से श्री महेश कुमार यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.02.2019 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष मुताबिक निर्णय आदेश दिनांक 21.12.2018 के कस्टोडियन राशि जरिये चालान नंबर 386 दिनांक 05.02.2019 द्वारा कुल राशि 278000 रुपये दो लाख अठहतर हजार मात्र जमा राजकोष कराई जाकर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जरिये पत्रांक 203 दिनांक 05.02.2019 अनुसार राशि जमा कराये जाने के बाबत की पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति के पेश होकर शामिल पत्रावली होने पर आदेश दिया जाता है ओर पर्चा डिक्री जारी की जाती है कि-

हाल आराजी खसरा नंबर 744/33 रकबा 0.66 हैक्टेयर बारानी दौयम वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में से रकबा 0.39 हैक्टेयर की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त विवादित आराजी रकबा 0.39 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि उक्त विवादित आराजी पूर्व से कस्टोडियन की भूमि रही है ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 21.12.2018 अनुसार तहसीलदार मुण्डावर द्वारा कस्टोडियन शुल्क की गणना की जाकर कस्टोडियन फीस उपरोक्तानुसार जमा राजकोष करा दिये जाने बाबत की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली होने के आधार पर वादी के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को वास्ते पालना अहकाम जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.02.2019 में मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
जिला अलवर (राज.)